न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01/2021

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
बाबूराम पुत्र छगनाराम जाति माली निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.08.2018 जो प्रकरण सं. 270/2018 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम, राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.07.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 270/2018 सरकार बनाम बाबूराम मे पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का गूंगा द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 384 रकबा 33–12 बीघा गैर मुमकीन मगरा में से 00–05 बीघा भूमि पर गैर सायल बाबूराम पुत्र छगनाराम जाति माली निवासी अम्बावाड़ी द्वारा पक्का मकान मय कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसा[illegible] की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर [illegible] अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्ग[illegible]र्ज कर गैर सायल [illegible]रिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत कर गवाह पेश करनें एवं मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किये जाने पर भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। गैर सायल की सुनवाई उपरांत तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिये अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2018 के द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 04.01.2021 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता राजकीय पैरोकार की बहस सुनी एवं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा जरिये अपील प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलांट एक गरीब किसान है दिहाड़ी मजदूरी के द्वारा अपनी आजीविका करता हैं जिसके पास रहने के लिये कोई प्लॉट नहीं होने के कारण अम्बावाड़ी एवं गूंगा की सरहद पर गूंगा के खसरा नम्बर 384 रकबा 1½ बीघा में सन् 1990 में दो झोंपड़ी बनाकर रहवास किया हैं तथा यह खसरा गैर मुमकीन मगरा हैं। इसके पश्चात सन् 2006 में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आने पर घर का सारा सामान बह गया तब प्रशासन एवं मौजिज [illegible] द्वारा भामाशाहों की मदद से बसाया एवं एक पक्का कमरा बनाया तब से [illegible] मकान में निवास करता आ रहा हैं। ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 20.02.2002 को पारित कर बाढ़ प्रभावित होने व आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जाशुदा भूमि को नियमित करने की अनुशंषा की गई। अपीलांट का कब्जा एवं पक्का मकान पुराना हैं जिसमें वर्ष 1990 से सपरिवार निवास करता आ रहा है तथा बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है । रेस्पोडेंट द्वारा वर्ष 1990 से 2018 तक कभी धारा 91 का प्रकरण नहीं बनाया हैं जबकि अपीलांट द्वारा कोई नया कब्जा नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट अपने पुराने कब्जे की भूमि मकान सहित नियमन करवाने का अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की सही जांच एवं हल्का पटवारी के बयान दर्ज कराये अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय पारित किया हैं तो काबिल निरस्त के हैं।

5. अपीलांट की ओर से यह भी प्रकट किया गया हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अर्सा 10–15 दिन से अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल करने पर उतारू होने पर दिनांक 22.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय जाकर अपीलाधीन निर्णय की नकलें मांगी, जो तैयार होकर दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई हैं। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने से अपील अन्दर मयाद पेश है तथा विलम्ब के स्पष्टीकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें तथा मौजा गूंगा के खसरा नम्बर 384 रकबा 01.10 बीघा पर अपीलांट का कब्जा सन् 1990 से मानकर नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय पैरोकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 384 रकबा 33–12 बीघा गैर मुमकीन मगरा में से 00–05 बीघा भूमि पर ... द्वारा पक्का मकान मय कब्जा कर अतिक्रमण किया गया, ... अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट के निवेदन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा से पुनः मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें अपीलांट का अवैध कब्जा होना उल्लेखित किया गया। इस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर अवैध अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो का अपील मीमो एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं राजकीय पैरोकार के तर्कों पर मनन किया । अपीलांट ने जरिये अपील प्रकट किया हैं कि उसका विवादित भूमि पर वर्ष 1990 से रहवासीय कब्जा हैं जबकि इसके सम्बन्ध मे कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट्स का कब्जा पुराना एवं विधिवत होकर मुतनाजा सरकारी भूमि पर नही हैं। इसके अलावा जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि उसका पुराना रहवासीय कब्जा होने से नियमन का अधिकारी हैं तो इसके लिये वह प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं। जब अपीलांट का कब्जा इससे पूर्व अस्तित्व में नही था तो फिर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही संस्थित होने का प्रश्न ही नही रहता हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारित अपीलाधीन कार्यवाही में भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा से प्राप्त रिपोर्ट में भी उक्त कब्जा 4–5 वर्ष पुराना होना बताया गया हैं तो फिर अपीलांट का यह कथन कि उसे वर्ष 2006 की बाढ़ के दौरान प्रशासन एवं ग्राम पंचायत द्वारा बसाया गया था, मानने योग्य नही हैं। अपीलांट का यह भी कथन हैं कि वह गरीब किसान हैं जिसके पास अन्यत्र कोई प्लॉट नहीं हैं जिसके कारण उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहा है, यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण की श्रेणी में नहीं आता हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:50 IST
Reason: SelfAttested